# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 32/2022 तारीख रजू :–21.02.2022

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

शकील वगैराह बनाम रशीद उर्फ अब्दुल रसीद खान वगैराह

दावा बाबत घोषित किये जाने प्रभावहीन व शून्य बयनामा दिनांक 05.03.2021 माफिया बहक नन्नो वगै0 बाबत आराजीयात भूमि स्थित ग्राम कुतकपुर व स्थायी निषेधाज्ञा में <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी</u>

उपस्थितः–1.श्री शाहिदअली एडवोकेट प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं01ता4
2.श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण/ वादीगण

## निर्णय

दिंनाक :– 4-7-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं01 ता 4 ने दिनांक 21.03.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण वास्ते जबावदावा नियत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि उक्त उनवानी दावा वादीगण द्वारा पैत्रिक पुश्तैनी भूमि ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की पुश्तैनी कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं01 ने दिनांक 15.09.2017 को प्रतिवादी सं02 से 251000/–रूपया प्रतिफल राशि प्राप्त कर अपने स्वामित्व खातेदारी की 1/10 हिस्से का कब्जा सुपुर्द कर प्रतिवादी सं02 के हक में दिनांक 15.09.2017 को विक्रय पत्र तहरीर कर उप पंजीयक हिण्डौन के यहाँ पंजीकृत कराके विक्रय पत्र को एवइनीशियो बोईड नल एण्ड बोईड घोषित करवाने के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लिए व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया । जो मुस्लिम विधि के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति की अवधारणा का अभाव होने के कारण व खातेदारी के जीतेजी उसकी सम्पत्ति को वारिसान द्वारा चेलेन्ज नहीं किये जाने के कारण दिनांक 04.02.2019 को अन्तर्गत ऑर्डर 07 रूल 11 के तहत खारिज हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा दिनांक 05.03.2021 के विकय पत्र को प्रभावहीन व शून्य घोषित किये जाने का दावा पुनः उसी पैत्रिक भूमि का पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी सं02 ने अपनी सम्पूर्ण आराजीयात को जिसको प्रतिवादी सं02 ने कय कर कब्जा प्राप्त किया है जो उसकी स्वअर्जित भूमि है तथा प्रतिवादी सं01 ने आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 24 एयर वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की 1/10 हिस्से की आराजीयात का विकय पत्र प्रतिवादी सं0 3 लगायत 5 के हक में रजिस्टर्ड करवा दिया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि दावा हाजा व प्रार्थना पत्र टी.आई. उक्त विवादित भूमि वादीगण ने पैत्रिक भूमि बुजुर्ग खेराती पुत्र हंसी से प्राप्त होना मानकर दावा पेश किया है, जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति की धारणा का अभाव है, जीतेजी वारिसान का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। डेथ बाई लॉ का सिद्धान्त लागू होता है। आफ्टर डेथ ही वारिसान प्रभावित होते हैं। जीतेजी उसकी सम्पत्ति को चेलेन्ज नहीं कर सकते हैं। इस तर्ज पर मुताविक मुस्लिम विधि के अनुसार उक्त दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. पर विधि का बार होने के कारण प्राईमरी स्टेज पर ही काबिले खारिज योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादीगण को कोई पुश्तैनी एवं जन्म से हक व अधिकार मुस्लिम विधि के तहत प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त पिता के जीवन काल में आराजी के हिस्से का निर्धारण नहीं हो सकता है। अर्थात बंटवारा नहीं हो सकता है। इसलिए वादीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पेश दावा हाजा मुस्लिम विधि का वार होने के कारण पोषनीय नहीं है। काबिले खारिज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादीगण ने उपरोक्त विवादित आराजीयात स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन के बारे में पूर्व में भी उपरोक्त उनवानी दावा माननीय न्यायालय ए.सी.जे. एम. हिण्डौन में पेश किया, जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत क्षेत्राधिकार के अभाव में वादी को लोटा दिया गया। इसके उपरान्त इसी विवादित भूमि का वादी ने न्यायालय हाजा में उक्त विवादित भूमि का दावा व प्रार्थना पत्र टी.आई. उनवानी शरीफ खान बनाम रसीदखान दावा नम्बरी 26/2019 व प्रार्थना पत्र टी.आई. नम्बरी 15/2019 पेश किये। जो ऑर्डर 07 रूल 11 के तहत दिनांक 27.06.2019 को न्यायालय हाजा द्वारा खारिज फरमा दिये गये। इसके उपरान्त फिर पुनः इसी विवादित भूमि का दावा खारिज होने पर वादीगण द्वारा उसकी अपील आर.ए. ए. में पेश की। जो वर्तमान में विचाराधीन है। फिर पुनः दिनांक 03.07.2019 को इसी विवादित भूमि का न्यायालय हाजा में दावा नम्बरी 93/2019 व प्रार्थना पत्र टी.आई. नम्बरी 82/2019 पेश किये। जो दिनांक 18.02.2021 को ऑर्डर 07 रूल 11 के तहत खारिज फरमा दिये गये। इसके उपरान्त अब पुनः इसी विवादित भूमि का दावा वादीगण द्वारा पेश किया गया है। जिसमें पैत्रिक पुश्तैनी भूमि को मानकर दावा पेश किया है, जो पूर्व दावों के मुताविक ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत काबिले खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा पेश दावे व प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 जिस प्रकार तहरीर है, स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर है गलत है और अस्वीकार है। प्रतिवादी सं01 ने दिनांक 15.09.2017 को प्रतिवादी सं0 2 से 251000/—रूपया कोई प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं की न ही खातेदारी की 1/10 हिस्से की भूमि पर कब्जा सुपुर्द किया। पूर्व में दावा किसने व कौनसी न्यायालय में पेश किया तथा कौन सी सम्पत्ति के बाबत् पेश किया है, उक्त मद में स्पष्ट दर्ज नहीं होने के कारण जबाव दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर है गलत है और अस्वीकार है। प्रतिवादी सं02 ने अपनी सम्पूर्ण आराजीयात को प्रतिवादी सं02 से कब्जा प्राप्त नहीं किया है। उक्त भूमि पर कब्जा आज भी वादीगण का है। प्रतिवादी सं01 ने आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 24 एयर बाके ग्राम कुतकपुर के 1/10 हिस्से का विकय पत्र प्रतिवादी सं03 ता 5 के हक में खिलाफ कानून करवाया है जो एवइनिशियो नल एण्ड बोईड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 में उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित भूमि पैत्रिक भूमि बुजुर्ग खैराती पुत्र हंसी से प्राप्त होना मानकर दावा पेश किये जाने वाली स्वीकार है। शेष इबारत जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है। वादीगण ने उक्त उनवानी दावा बंटवारा व घोषणा का नहीं कर विकय पत्र दिनांक 05.03.2021 को प्रभावहीन व शून्य घोषित करवाने का पेश किया है, जो कानूनन मेन्टीनेविल है तथा विधि द्वारा वर्जित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 जिस प्रकार तहरीर है गलत है और अस्वीकार है। उक्त मद में दावे व टी.आई. का स्पष्ट खुलासा नहीं होने के कारण जबाव दिया जाना सम्भव नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं01ता 4 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत रिजेक्ट कर खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं01 ता 4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 289 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्नो पत्नि सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 , शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 0.16 है0, 673 रकबा 0.28 है0, 684 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.74 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदारी नन्नो पत्नि सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30,शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 735 रकबा 0.23 है0, 743 रकबा 0.54 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.77 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्नो पत्नि सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 , शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्नो पत्नि सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30,शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 665 रकबा 0.12 है0, 679 रकबा 0.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्नो पत्नि सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 , शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.02 है0, 282 रकबा 0.33 है0, 283 रकबा 0.16 है0, 285 रकबा 0.04 है0, 286 रकबा 0.27 है0, 292 रकबा 0.24 है0, 311 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.22 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्नो पत्नि सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30,शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071 से 74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 697 रकबा 0.33 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्नो पत्नि सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30,शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2031 से 34 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 91,92,106,107,108,111,116,125,308,355,371,389,396, 429 कुल किता 14 कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी खैराती, कलुवा पुत्र हंसी अल्मदी बेबा समसू हि03/4, मुस्ताक नन्नू पि0 समसू हि01/4 सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 26/2019 दावा उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 27.06.2019 के अनुसार वादीगण का दावा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है।

फोटो प्रति न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौन मुकदमा नं0 42/2018 दावा उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् घोषित किये जाने प्रभावहीन व शून्य वयनामा दिनांक 15. 09.2017 श्री रशीद बहक श्रीमति माफिया बाबत् आराजी भूमि स्थित ग्राम कुतकपुर निर्णय दिनांक 12.11.2018 के अनुसार वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 10 सीपीसी के तहत सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लोटाया जाना सर्वथा न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व दफा 151 जा0दी0 व दफा 11 कोर्ट फीस एण्ड सूट वैल्यूएशन अधिनियम को उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। प्रस्तुत वाद पत्र सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार पेश करने हेतु नियमानुसार अधिवक्ता वादी को लौटाया जावे।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 93/2019 दावा उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 18.02.2021 के अनुसार वादीगणं का दावा आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है।

फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर में विचाराधीन अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2019 उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीद खान वगैराह में जारी नोटिस कमांक 2752 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के मुकदमा नं0 26/2019 दावा उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 27.06.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ अपील विचाराधीन है।

प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.03.2022 उनवानी माफिया पत्नि आरिफ, रसीद पुत्र खैराती बहक नन्नो पत्नि सलीम खान, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद, शाहिद खान पुत्र अब्दुल रसीद के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 665 रकबा 0.12 है0, 679 रकबा 0.28 है0, 666 रकंबा 0.16 है0, 673 रकबा 0.28 है0, 684 रकबा 0.30 है0, 289 रकबा 0. 16 है0, 664 रकबा 0.15 है0, 281 रकबा 0.33 है0, 282 रकबा 0.33 है0, 283 रकबा 0.16 है0, 285 रकबा 0.04 है0, 286 रकबा 0.27 है0, 292 रकबा 0.24 है0, 311 रकबा 0.16 है0, 735 रकबा 0.23 है0, 743 रकबा 0.54 है0, 697 रकबा 0.33 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 3.77 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में से विकेता माफिया पत्नि आरिफ ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/10 भाग की भूमि को केतागण नन्नो पत्नि सलीम खान, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद, शाहिद खान पुत्र अब्दुल रसीद को बहिस्सा बराबर विकय किया गया है तथा खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में विकेता रसीद पुत्र खैराती ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी व अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/10 भाग की भूमि को केतागण नन्नो पत्नि सलीम खान,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद, शाहिद खान पुत्र अब्दुल रसीद को बहिस्सा बराबर विक्रय किया गया है।

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नजीर 2018(2) CJ(Civ.) (Raj.) **Shanu & Anr. Vs. Sultan Khan** पेज 991–994 पेश की है जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय में अंकित किया है मुस्लिम विधि– दादा की सम्पत्ति में से अंश का दावा, विशिष्टतया जब पिता जीवित हो– मुस्लिम विधि के अनुसार वादीगणों को सम्पत्ति में वारिसी का कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार सम्पत्ति की अवधारणा विदेशी है। मुस्लिम विधि– अंश का दावा –जब तक पिता जीवित है, बच्चे सम्पत्ति में कोई भी अधिकार ग्रहण नहीं करते हैं।

आर.आर.टी. 2017(2) पेज पेज 803–806 उनवानी हसन बनाम श्रीमती रूकसाना व अन्य में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 15.02.2017 को निर्णय पारित किया है जिसमें दर्ज किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 7 नियम 11 (d)– विधि द्वारा वर्जित होने से वाद पत्र का खारिज करना– प्रार्थना– पत्र खारिज किया– जन्म से अधिकार के आधार पर पैत्रिक भूमि में हिस्से हेतु वाद पेश किया– मुस्लिम विधि में पैत्रिक सम्पत्ति की धारणा नहीं– वादीया " आर " पिता के जीवनकाल में कोई अनुतोष पाने की हकदार नहीं थी– वाद विधि द्वारा वर्जित था– निर्णित आदेश संवहनीय नहीं है व अपास्त किया तथा वाद पत्र खारिज किया।

**Imp.Point- No concept of ancestral property in Muslim Law.**

**B. – Daughter is not entitled to any relief in the life time of the father.** (निगरानी स्वीकार)

वादीगण ने यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.03.2022 उनवानी माफिया पत्नि आरिफ, रसीद पुत्र खैराती बहक नन्नो पत्नि सलीम खान, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद, शाहिद खान पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

अब्दुल रसीद के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 665 रकबा 0.12 है0, 679 रकबा 0.28 है0, 666 रकबा 0.16 है0, 673 रकबा 0.28 है0, 684 रकबा 0.30 है0, 289 रकबा 0.16 है0, 664 रकबा 0.15 है0, 281 रकबा 0.33 है0, 282 रकबा 0.33 है0, 283 रकबा 0.16 है0, 285 रकबा 0.04 है0, 286 रकबा 0.27 है0, 292 रकबा 0.24 है0, 311 रकबा 0.16 है0 , 735 रकबा 0.23 है0, 743 रकबा 0.54 है0, 697 रकबा 0.33 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 3. 77 है0 वाके ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में से विक्रेता माफिया पत्नि आरिफ ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/10 भाग की भूमि को क्रेतागण नन्नो पत्नि सलीम खान, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद, शाहिद खान पुत्र अब्दुल रसीद को बहिस्सा बराबर विक्रय किया गया है तथा खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन में विक्रेता रसीद पुत्र खैराती ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी व अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/10 भाग की भूमि को क्रेतागण नन्नो पत्नि सलीम खान, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद, शाहिद खान पुत्र अब्दुल रसीद को बहिस्सा बराबर विक्रय किया गया है को प्रभावहीन व शून्य बयनामा घोषित कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का पेश किया है। जबकि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार उक्त विवादित आराजीयात से वादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। वादीगण उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 665 रकबा 0.12 है0, 679 रकबा 0.28 है0, 666 रकबा 0.16 है0, 673 रकबा 0.28 है0, 684 रकबा 0.30 है0, 289 रकबा 0. 16 है0, 664 रकबा 0.15 है0, 281 रकबा 0.33 है0, 282 रकबा 0.33 है0, 283 रकबा 0.16 है0, 285 रकबा 0.04 है0, 286 रकबा 0.27 है0, 292 रकबा 0.24 है0, 311 रकबा 0.16 है0 , 735 रकबा 0.23 है0, 743 रकबा 0.54 है0, 697 रकबा 0.33 है0 कुल किता 17 कुल रकबा 3.77 है0 तथा खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी नन्नो पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

सलीम खान हि01/30, रहीश मोहम्मद पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 शाहिदखान पुत्र अब्दुल रसीद हि01/30 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त नजीरों के आधार पर पिता की खातेदारी की आराजीयात में पिता के जीवित रहते हुए उसके बच्चों को कोई अधिकार मुस्लिम विधि के अनुसार नहीं होता है। वादीगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने मुकदमा नं0 दावा 26/2019 निर्णय दिनांक 27.06.2019 उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 93/2019 दावा उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 18.02.2021 के अनुसार वादीगण का दावा आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 0.24 है0 स्थित ग्राम कुतकपुर तहसील हिण्डौन प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर में विचाराधीन अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2019 उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीद खान वगैराह में जारी नोटिस कमांक 2752 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के मुकदमा नं0 26/2019 दावा उनवानी शरीफ खान बनाम रसीद उर्फ अब्दुल रसीदखान वगैराह दावा बाबत् बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 27.06.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ अपील विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त वाद पत्र पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त भी पूर्णतः लागू होता है। क्योंकि पूर्व के बाद में एवं नवीन वाद में विवादित आराजीयात एवं विषय वस्तु समान ही हैं। उक्त प्रकरण में वादीगण मुस्लिम जाति का होने के कारण उन पर मुस्लिम कानून ही लागू होते हैं। वादीगण ने अपने वाद पत्र में ऐसा कोई ठोस आधार या दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं कि जिससे वादीगण का वाद

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

(9) 21/3/22

बाबत् घोषित किये जाने प्रभावहीन व शून्य बयनामा दिनांक 05.03.2021 माफिया बहक नन्नौ वगैराह बाबत् आराजीयात भूमि स्थित ग्राम कुतकपुर विरूद्ध प्रतिवादीगण चलने योग्य हो बल्कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर वादीगण का वाद प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 07 रूल 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मुकदमा नं0 32/2022 उनवानी शकील वगैराह बनाम रशीद उर्फ अब्दुल रशीद वगैराह दावा बाबत् घोषित किये जाने प्रभावहीन व शून्य बयनामा दिनांक 05.03.2021 माफिया बहक नन्नौ वगैराह बाबत् आराजीयात भूमि स्थित ग्राम कुतकपुर विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक ....4-7-22.... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )